स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाईल सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-II दिनांक : 09 जून, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, इकाई या राजनीतिक दल से प्राप्त अंशदान इत्यादि-तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग ने दिनांक 15.10.2013 के अपने अनुदेश सं.76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम-IV में यह निर्धारित किया है कि सभी अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से एक पृथक बैंक खाता खोलेंगे जिसके माध्यम से ही प्रचार अभियान के सभी व्यय उपगत किए जाएंगे। आयोग ने खाता हस्तांरण के माध्यम से अभ्यर्थियों को सभी भुगतान करने तथा नकद रूप में नहीं करने के लिए राजनीतिक दलों को अनुदेश सं. 76/पीपीईएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 भी जारी किया है।

2. आयोग के ध्यान में यह आया है कि निर्वाचक प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थीगण अपने निर्वाचन प्रचार वयय के लिए राजनीतिक दलों के अलावा अन्य व्यक्तियों या इकाईयों से भी प्रायः नकद रूप में बड़े अंशदान या ऋण प्राप्त करते हैं। जहां तक राजनीतिक दलों का संबंध है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के उपबंधों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर राहत का दावा करने के लिए प्राप्त किए गए बीस हजार रूपये की धनराशि से अधिक के अंशदानों को निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करना अपेक्षित है।

3. उपरोक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि पारदर्शिता तथा लेखांकन के हित में, अभ्यर्थीगण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी एक व्यक्ति या इकाई से नकद

रूप में या ऋण के रूप में 20,000/- रु. से अधिक के अंशदान प्राप्त नहीं करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा 20,000/- रु. से अधिक के सभी अंशदान/ऋण अदाता के खाते में देय चेक या ड्राफ्ट या खाता हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे एवं अभ्यर्थीगण ऐसे व्यक्तियों/इकाईयों के पूरे नाम तथा पता रखेंगे जिसका दिन-प्रतिदिन के लेखे तथा निर्वाचन व्यय के सार विवरण के संगत स्तम्भों में उल्लेख किया जाएगा।

4. आप से अनुरोध है कि इसे सभी अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(एस. के. रूडोला)

सचिव